न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—306/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00306)

1. सरपंच, ग्राम पंचायत—खरवा, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्यामसिंह पुत्र केशवसेन जाति राजपूत, निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मसूदा, जिला अजमेर।
3. प्रभात सोलंकी पुत्र सुन्दर सिंह सोलंकी जाति जाट, हाल निवासी 5, न्यू अग्रवाल कॉलोनी, देलवाडा रोड ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 28.02.2018 अंतर्गत वाद संख्या 89/2013.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश आरोडा, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सहदेव चौधरी, सोहन पाल सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री सोहन पाल सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः—16.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 89/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 बाबत खातेदारी घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। उपरोक्त वाद पत्र का जवाब रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर चार तनकीयात निर्मित की गई एवं प्रकरण में तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादी/रेस्पोडेंट 1 के पक्ष में करते हुए तथा तनकी संख्या 3 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध किया जाकर प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश दिनांक 28.2.2018 को पारित किए गए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 89/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया व निम्न दस्तावेजों को हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सार्वजनिक हित की आराजीयात खसरा संख्या 4297/3619 रकबा 11 बिस्वा में से 10 बिस्वा आराजीयात जहां ग्राम वासियान के मंदिर पूजा का स्थान व चबूतरा इत्यादि निर्मित किए हुए है तथा भैंरूजी का स्थान बना हुआ है। उपरोक्त आराजीयात जो कि सार्वजनिक उपयोग की आराजीयात रही है के बाबत निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2018 को पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है एवं डिक्री के पश्चात नामांतरकरण संख्या 1459 दिनांक 21.3.2018 को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कराया जाकर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.5.2018 को निष्पादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। उक्त अनुसरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक हैः— आदेश जिला कलक्टर दिनांक 8.4.1994, निर्णय दिनांक 18.9.1997, निर्णय दिनांक 27.8.2008, आदेशिका राजस्व मण्डल दिनांक 23.3.1999 से 11.3.1999, जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खसरा संख्या 4348/3619, जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खसरा संख्या 4298/3619, जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खसरा संख्या 4297/3619, नामांतरकरण संख्या 1480 दिनांक 14.6.2018, विक्रय पत्र दिनांक 31.5.2018, आदेश दिनांक 20.4.2013। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थी खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किए निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय की आड में अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर उसे खुर्द बुर्द किए जाने की कार्यवाही किए जाने पर ग्राम वासियान द्वारा अवगत कराए जाने पर जानकारी की

दिनांक से उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है उपरोक्त आराजीयात जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मंदिर एवं स्थान की आराजीयात रही है के बाबत अवैधानिक रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2018 की जानकारी होने पर ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 15.8.2019 को पारित किया गया जिसमें अपील प्रस्तुती का निर्णय लिया गया है वादग्रस्त आराजीयात जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की ग्राम वासियान की आस्था की आराजीयात है, जिससे ग्राम पंचायत प्रार्थी ग्रामवासियान के हितों की रक्षा हेतु व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी आराजी खसरा संख्या 3619 में खातेदार दर्ज है जिन्हे पक्षकार सम्मिलित किए बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए निर्णय पारित किया है जिससे प्रार्थी के हक एवं अधिकार प्रभावित हो रहे है अतः प्रार्थी को निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

R.B.J(8)2001 PAGE 313-*"**CIVIL PROCEDURE CODE, 1908- SECTION 96-** when a person is not a party in the lower court, but if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".*

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

10. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वादगस्त आराजीयात बाबत प्रस्तुत राजस्व वाद मे खातेदारान अपीलांट को पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाकर एकमात्र अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया हे जिसे निर्णय दिनांक 28.2.2018 से डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है एवं डिक्री की अनुपालना मे स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1459 दिनांक 21.3.2018 के आधार पर पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 31.5.2018 को अप्रार्थी संख्या

3 के पक्ष मे निष्पादित करवाया गया है जिस बाबत प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नही रही है, उपरोक्त समस्त कार्यवाही बाला बाला राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अमल में लाई गई है जिस बाबत मौके पर ग्राम वासियान को धमकी दी जाने व उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द किए जाने पर ग्राम वासियान द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री की जानकारी राजस्व अभिलेख मे अंकन के आधार पर होने पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 27.8.2019 को प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 29.8.2019 को प्रमाणित प्रति प्रदान किए जाने पर अजमेर आकर अपना अधिवक्ता नियुक्त कर बिना किसी देरी के उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है, जो कि जानकारी की दिनांक से अंदर मयाद है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

12. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963- SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge***.**

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

13. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 3619 जिसके साबिक नम्बर 2360 रहे है एंव जिसका रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु. बाडा रही है उक्त आराजीयात को आदेश दिनांक 8.4.1994 द्वारा मैसर्स रानीसागर

सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए आद्योगिक प्रयोजनार्थ पूर्व में आरक्षित की गई, उक्त आदेश से व्यथित हो ग्रामवासियों द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील संख्या 55/94 प्रेमसिंह बनाम रानीसागर सीमेन्ट कम्पनी प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 27.5.96 को अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर अजमेर को प्रकरण प्रेषित कर निर्देशित किया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात पर ग्रामवासियों का पुराना भोमियां जी का मंदिर बना हुआ है तथा आवंटन से पूर्व मंदिर के संबंध में पूर्ण जांच करवाई जावे तथा सुनिश्चित किया जावे कि आरक्षित की जाने वाली भूमि पूर्ण रूप से रिक्त है या नहीं है। उक्त अनुपालना में जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार ब्यावर से मंगाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 19.9.96 में उक्त मंदिर का होना अंकित किया गया तथा साथ ही उक्त आराजीयात पर पुराना बडा चबूतरा भैरू जी का स्थान जागीर के समय से बना हुआ वर्णित करते हुए तथा उक्त चबूतरे पर काफी पुराने समय से मूर्तिया होना तथा भूमि को सार्वजनिक उपयोग की होना मानते हुए उक्त आराजीयात को धारा 92 के तहत सेटअपार्ट होने योग्य नहीं हैं, बाबत निर्णय दिनांक 18.9.97 को पारित किया गया। उक्त पारित निर्णय दिनांक 18.9.97 के विरूद्ध अपील मैसर्स रानी सागर सीमेन्ट कम्पनी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 54/2007 प्रस्तुत की गई जो कि न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.8.2008 से निरस्त करते हुए निर्णय दिनांक 18.9.97 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किए गए है न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.8.2008 के विरूद्ध मैसर्स रानीसागर सीमेन्ट कम्पनी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी एलआर संख्या 34/99 मैसर्स रानीसागर बनाम सरकार प्रस्तुत की गई जो कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 4.3.1999 से निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों अनुसार तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में आराजीयात खसरा संख्या 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा जो कि माननीय राजस्व मण्डल तक सार्वजनिक उपयोग की आराजीयात मानते हुए पूर्व में निर्णय पारित किए जा चुके है उक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुए वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजीयात को राजस्व अभिलेख में स्वंय के दादा गणपतसिंह के नाम होना वर्णित करते हुए विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.2.18 को डिक्री कर उक्त आराजीयात मे से 10 बिस्वा आराजीयात का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश पारित किए गए है जो कि प्रथम दृष्टया ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजीयात होने से पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा आराजीयात वाके ग्राम राणीसागर तहसील मसूदा जिला अजमेर जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 मे गै.मु. बरडा होना वर्णित करते हुए राजस्व वाद वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रस्तुत किया है जबकि उपरोक्त आराजीयात मे से 1 बीघा 9 बिस्वा आराजीयात सडक परिवहन व राजमार्ग विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 996 वाद प्रस्तुती के पूर्व अंकन की जा चुकी है जो कि राजस्व अभिलेख में गै.मु. सडक के रूप मे दर्ज होकर खसरा संख्या 4298/3619 के रूप मे दर्ज अभिलेख है। उक्त पक्षकार राजस्व वाद मे आवश्यक पक्षकार रहे है जिन्हें प्रकरण मे पक्षकार सम्मिलित नहीं कर उक्त आराजीयात में से 10 बिस्वा खातेदारी की भूमि का अनुतोष चाहा गया है जो कि प्रथम दृष्टया ही आवश्यक पक्षकार को पक्षकार के रूप मे सम्मिलित नहीं होने से प्रस्तुत वाद पत्र निरस्त किए जाने योग्य रहा है जिसे डिक्री करने में त्रुटि कारित की गई

है। आराजीयात खसरा संख्या 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा आराजीयात में से 4 बीघा 5 बिस्वा आराजीयात अपीलांट ग्राम पंचायत खरवा के नाम आबादी हेतु अधिग्रहित किए जाने के आदेश प्राधिकृत उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा दिनांक 20.4.2013 को राजस्व वाद प्रस्तुती के पूर्व पारित किए गए है। जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1104 से अपीलांट ग्राम पंचायत के नाम गे.मु. आबादी में अंकन की जा चुकी है। जिस बाबत राजस्व अभिलेख में 4368/3619 अपीलांट ग्राम पंचायत खरवा के नाम आबादी में दर्ज है, जिसे बिना पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए उक्त आराजीयात में से 10 बिस्वा की खातेदारी की आराजीयात हेतु राजस्व वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रस्तुत किया गया है। जो कि प्रथम दृष्टया ही आवश्यक पक्षकार अपीलांट खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना स्वीकार कर डिक्री किए जाने में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा त्रुटि कारित की गई। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि गै.मु. सडक, सडक परिवहन एवं राजमार्ग विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के नाम अंकन की हुई है तथा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलांट के नाम गै.मु. आबादी में दर्ज है। शेष 11 बिस्वा भूमि जो कि पूर्व में पारित निर्णयों के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है जिस पर जागीर के समय से पुराना बडा चबूतरा, भैंरू जी का स्थान बना हुआ है तथा चबूतरे पर पत्थर की मूर्तियां लगी हुई है। उक्त आराजीयात 11 बिस्वा खसरा संख्या 4297/3619 पर नामान्तरकरण संख्या 1459 दिनांक 21.3.2018 से 10 बिस्वा भूमि पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए गए है एवं राजस्व अभिलेख में अंकन किया गया है। जो कि प्रथम दृष्टया ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि पर खातेदारी अधिकार की भूमि प्रदत्त किए जाने से पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.2.2018 जिससे आराजीयात खसरा संख्या 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा मे से 10 बिस्वा भूमि का खातेदार वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को घोषित किया गया है व उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2018 की अनुपालना मे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजीयात खसरा संख्या 4297/3619 रकबा 11 बिस्वा में से खसरा संख्या 4297/3619/1 रकबा 10 बिस्वा पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम अंकन कर नामान्तरकरण संख्या 1459 दिनांक 21.3.2018 को स्वीकृत किया गया है जो कि प्रथम दृष्ट्या ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजीयात बाबत अंकन किए जाने से राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 27.8.2018 व 4.3.1999 के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। आराजीयात खसरा संख्या 4236/3619/1 पर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2018 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1459 दिनांक 21.3.2018 को स्वीकृत होने के उपरान्त वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपरोक्त आराजीयात को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.5.2018 को बेचान कर दिया है एवं उक्त अनुपालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अपने नाम वादग्रस्त आराजीयात को दर्ज कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम वासियों के मंदिर व स्थान की भूमि के बाबत पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2018 की अनुपालना मे हुए इन्द्राजात के आधार पर किया गया बयनामा प्रथम दृष्टया ही शून्य दस्तावेज है, जो कि निरस्तनीय है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को किसी भी प्रकार की अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है, जिससे निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2018 निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील

अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 89/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

14. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील के माध्यम से लिखित बहस में कथन किया कि मुझ वादी/रेस्पोडेन्ट सं० 1 श्यामसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा के न्यायालय में राजस्व वाद पत्र सं० 89/2013 बउनवानी "श्यामसिंह बनाम सरकार" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–88 एवं 188 के अर्न्तगत प्रस्तुत करके वाके मौजा रानीसागर तहसील मसूदा के खाता सं० 1 में स्थित भूमि साबिक खसरा नं0 2360 से बने हाल खसरा नं0 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि पर खातेदार/काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया था। उक्त तथ्यों को राजस्व रेकॉर्ड एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे साबित करवाया गया जिसके बाद अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वैधानिक तौर पर पारित अपीलग्रस्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 के द्वारा उक्त वाद पत्र सं0 89/2013 को डिक्री करके वादी/रेस्पोडेन्ट सं० 1 को खातेदार/काश्तकार घोषित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट सरपंच ग्राम पंचायत, खरखा द्वारा बिना किसी ठोस कानूनी आधार के उपरोक्त प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें सारभूत कानूनी बिन्दु निहित नहीं होने के कारण इसको खारीज किया जावें। वाके मौजा रानीसागर तहसील मसूदा में स्थित भूमि साबिक खसरा नं0 2360 हाल खसरा नं0 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि आदेश दिनांक 09.08.1957 के द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट सं० 1 के दादा गणपत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह जी की निजी सम्पति घोषित की गई थी जिसके बाद साबिक खसरा नं0 2360 के उक्त रकबा 10 बिस्वा भूमि को संवत 2024 लगायत 2027 की जमाबन्दी में गणपत सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज की गई परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्किंग जमाबन्दी सं0 2041 में बिना किसी आदेश के उक्त 10 बिस्वा भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि यह सुस्थापित कानूनी सिद्धान्त है कि भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व में चले आ रहे खातेदारी इन्द्राज को परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कानूनी तथ्य बाबत अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं० 1 व 2 में विस्तृत विवेचन करने के पश्चात् उक्त तनकी वादी/रेस्पोडेन्ट सं० 1 के पक्ष में निर्णित करके वैधानिक तौर पर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.18 के द्वारा वाद पत्र सं० 89/2019 को स्वीकार करके वादी/रेस्पोडेन्ट सं० श्यामसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित 1 किया गया एवं तदनुसार प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की गई। इस प्रकार उक्त वैधानिक तौर पर पारित अपीलग्रस्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28. 02.18 के विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत खरवा को न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रथम अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त ही नहीं है। इस कारण उपरोक्त प्रथम अपील को खारीज किया जावें। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा ने अपने समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण राजस्व रेकॉर्ड एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य तथा कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत विवेचन करने के पश्चात् वादी रेस्पोडेन्ट सं० 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सं0 89/2013 के संदेह से परे साबित होने के कारण ही इसको वैधानिक तौर पर पारित अपीलग्रस्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.18 के द्वारा स्वीकार किया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रथम अपील बिना किसी ठोस कानूनी आधारों के प्रस्तुत की गई है। इस कारण प्रथम अपील में कोई सारवान बिंदु निहित नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। वादी/रेस्पाडेन्ट

सं० द्वारा प्रस्तुत 1 वाद पत्र सं० 89/2013 का जवाबदावा प्रतिवादी राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत किया जिसमें उक्त वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को स्पष्टतया स्वीकार किया गया है जिसके आधार पर ही अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वैधानिक तौर पर अपीलग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.18 को पारित की गई जिसके विरूद्ध राजस्थान सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.18 के द्वारा उपरोक्त अपील में वर्णित अपीलान्ट्स के खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे है। इस कारण उनकी हैसियत हितबद्ध एवं आवश्यक व व्यथित पक्षकार की नहीं होने के कारण उनको न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रथम अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वाके ग्राम रानीसागर हाल तहसील मसूदा में स्थित भूमि साबिक खसरा नं0 2360 से बने हाल खसरा नं0 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि नेशनल हाईवे सड़क में चली गई जिसका खसरा नं0 4298/3619 गैर मुमकिन सडक कायम किया गया जिसके बाद 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि शेष रही जिसमें से ग्राम पंचायत खरवा को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 20.04.2013 के द्वारा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई जिसके नये खसरा नं0 4368/3619 कायम किये गये जिसके बाद उक्त रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से शेष भूमि 11 बिस्वा रही जिसके नये खसरा नं0 4297/3619 कायम किये गये जिसमें से 10 बिस्वा भूमि जो कि वादी रेस्पोडेन्ट सं० 1 के दादा गणपत सिंह पुत्र गोपालसिंह की आदेश दिनांक 09.08.1957 के द्वारा निजी सम्पति घोषित की गई थी जिसका खातेदारी इन्द्राज भी जमाबन्दी संवत 2024 लगायत 2027 में किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उक्त महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों पर विस्तृत विवेचन करने के पश्चात् अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वैधानिक तौर पर अपीलग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.18 के द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट सं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई जिससे अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित नही होते है। इसलिये उसकी हैसियत व्यथित पक्षकार (एग्रीव्ड पर्सन) की नहीं होने के कारण उसको न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रथम अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होने से उपरोक्त अपील को खारीज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त अपील में वर्णित अपीलान्ट को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नं0 2360 हाल खसरा नं० 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से आदेश दिनांक 20. 04.2013 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित की गई जिसके नये खसरा नं० 4368/3619 कायम किये गये। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि रकबा 10 बिस्वा में अपीलान्ट के किसी भी प्रकार से खातेदारी हक एवं अधिकार निहित नहीं है। इसलिये उक्त रकबा 10 बिस्वा बाबत रेस्पोडेन्ट सं० 1/वादी श्यामसिंह को अपीलग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.18 के द्वारा वैधानिक तौर पर खातेदार/काश्तकार घोषित किया गया जिसके विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कानूनी तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट को न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रथम अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त ही नहीं है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा ने वैधानिक तौर पर पारित अपीलग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28. 02.18 के द्वारा हाल खसरा नं0 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से बिस्वा भूमि पर वादी/रेस्पोडेन्ट सं० को 10 1 खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जिसके नये खसरा नं० 4297/3619/1 रकबा 10 बिस्वा कायम किये गये जिस पर

वादी/रेस्पोडेन्ट सं० 1 को राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया जिसके बाद उसके द्वारा उक्त खातेदारी की भूमि रकबा 10 बिस्वा बाबत पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 31.05.18 को उपरोक्त अपील में वर्णित मुझ रेस्पोडेन्ट सं० 3 प्रभात सोलंकी पुत्र सुन्दर सिंह सोलंकी के पक्ष में तहरीर करवाया एवं मौके पर क्रेता रेस्पोडेन्ट सं० 3 प्रभात सोलंकी को कब्जा संभला दिया जिसके आधार पर उसके पक्ष में खातेदारी का नामान्तकरण सं० 1480 दिनांक 14.06.2018 स्वीकृत किया जाकर तदनुसार रेस्पोडेन्ट सं० 3 प्रभात सोलंकी को राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी मे खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में उक्त खरीदशुदा 10 बिस्वा भूमि खसरा नं० 4297/3619/1 के मौके पर रेस्पोडेन्ट सं० 3 प्रभात सोलंकी खातेदार की हैसियत से काबिज है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कानूनी तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रथम अपील को खारीज किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

15. हमारे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन हमने पाया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88, 188 बाबत खातेदारी घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 2360 जिसके नए खसरा नम्बर 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम राणीसागर तहसील मसूदा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 में प्रार्थी का वाद स्वीकार कर खसरा नम्बर 3619 रकबा 06–05–00 भूमि में से 10 बिस्वा भूमि का वादी/वर्तमान रेस्पोडेंट को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में निर्मित तनकीयों के अवलोकन से यह तथ्य दृष्टिगत होते हैं कि वाकै मौजा रानीसागर तहसील मसूदा में स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 2360 हाल खसरा नम्बर 3619 रकबा 6–5–0 में से 10 बिस्वा भूमि वर्तमान रेस्पोडेंट के दादा गणपतसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह की खातेदारी में जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में दर्ज चली आ रही है। साबिक खसरा नम्बर 2360 के उक्त रकबा 10 बिस्वा भूमि को संवत 2024 से 2027 की जमाबंदी में गणपत सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज की गई परंतु भू प्रबंध विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी संख्या 2041 में बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश के उक्त 10 बिस्वा भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया व जवाबदावे में स्वयं तहसीलदार ने स्वीकार किया है कि जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में साबिक खसरा नम्बर 2360 में रकबा 10 बिस्वा भूमि गणपतसिंह के नाम दर्ज होने का कथन किया है तथा भू संशोधन के बाद उक्त आराजीयात सिवायचक खाते में दर्ज हो गई थी तथा उक्त आराजीयात के सिवायचक खाते में किस आदेश से दर्ज की गई उसका कोई विवरण अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जवाबदावे व पत्रावली पर उपलबध प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में खसरा नम्बर 3619 सिवायचक दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस होना पाया, छाया प्रति प्रदर्श–4ए (वसीयत) के अनुसार विवादित भूमि वादी के हिस्से में होना पाया जाता

है। छाया प्रति प्रदर्श–2ए के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2360 के हाल खसरा नम्बर 3619 होना पाया गया। छाया प्रति प्रदर्श–5ए जमाबंदी संवत 2024 से 2027 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2360 मिन रकबा 10 बिस्वा गणपतसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। छाया प्रति प्रदर्श 3 ए के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2360 रकबा 10 बिस्वा गणपतसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में दर्ज होना पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2067–2070 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2360 से बने हाल खसरा नम्बर 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि नेशनल हाईवे सडक में चली गई जिसका खसरा नम्बर 4298/3619 गै0मु0 सडक है। जिसके बाद 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि शेष रही जो कि ग्राम पंचायत खरवा को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 20.4.2013 के द्वारा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई जिसके नए खसरा नम्बर 4368/3619 कायम किए गए जिसके बाद उक्त भूमि में से शेष भूमि 11 बिस्वा रही जिसके नए खसरा नम्बर 4297/3619 कायम किए गए जिसमें से 10 बिस्वा भूमि जो कि वादी/रेस्पोडेंट के दादा गणपत सिंह पुत्र गोपालसिंह की आदेश दिनांक 09.08.1957 के द्वारा निजी संपत्ति घोषित की गई जिसका खातेदारी इंद्राज जमाबंदी संवत 2024 लगायत 2027 में किया गया। उक्त समस्त दस्तावेजी प्रदर्शों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार तीनों तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर मौजा रानीसागर पटवार हल्का खरवा द्वितीय में स्थित खसरा नम्बर 3619 रकबा 6–5–0 भूमि में से 10 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। वर्तमान अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा कहीं भी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात जमाबंदी या राजस्व रिकार्ड में कभी मंदिर के नाम दर्ज रही साथ ही उक्त आराजीयात गलत अंकन से सिवायचक दर्ज हो गई थी जिसे वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा विधिवत रूप से संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया जाकर विधिवत रूप से उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए वर्तमान अपीलांट अपने अपील के माध्यम से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात कभी भी सार्वजनिक हित की अथवा मंदिर की रही हो। उक्त आराजीयात जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 08.04.1994 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत रानीसागर सीमेन्ट कंपनी लि0 को खसरा नम्बर 3619 रकबा 6–5–0 आवंटित की गई। उक्त आदेश की अपील जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई परंतु न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा उक्त भूमि को सार्वजनिक हित की भूमि मानते हुए भूमि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत सेट अपार्ट होने योग्य नहीं है मानते हुए उक्त आदेश को यथावत रखा गया। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई न्यायालय हाजा द्वारा भी उक्त आदेश को यथावत रखा जाकर दिनांक 18.9.1997 को अपील खारिज की गई। माननीय मण्डल द्वारा भी न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.9.1997 को यथावत रखा गया है, इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा पूर्व में विधिक कार्यवाही कर विधिक उपचार प्राप्त कर लिए गए है वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2360 हाल खसरा नम्बर 3619 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत खरवा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई जिसके नए खसरा नम्बर 4368/3619 कायम किए गए, इस प्रकार से ग्राम वासियान खरवा के किसी भी प्रकार से हक अधिकार उक्त आराजीयात बाबत प्रभावित नहीं हो रहे है वह यह

बताने में विफल रहे है कि उक्त आराजीयात बाबत किस प्रकार से वह प्रभावित हो रहे है या उक्त भूमि कभी मंदिर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही हो, जबकि वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बखूबी रूप से साबित किया गया है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राज से आराजीयात सिवायचक दर्ज हो गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है उक्त विवादित आराजीयात में से शेष 10 बिस्वा भूमि को वर्तमान रेस्पोडेंट के हक में निर्णित करते हुए विवादित आराजीयात बाबत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किए जाने के आदेश दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी वादग्रस्त आराजीयात को वर्तमान रेस्पोडेंट के पूर्वजों की होना बताया गया। हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया– *"घोषणा के द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि में शुद्विकरण संबंधी अनुतोष दिया जा सकता है।* **भौंदू बनाम भौरजी 1981 आर0आर0डी0 525**"

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

16. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 89/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

17. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर